अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02 जनवरी 2026 को सायं 6:00 बजे आहूत उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) की गवर्निंग बॉडी की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) की वार्षिक गवर्निंग बॉडी की तृतीय बैठक दिनांक 02 जनवरी, 2026 को अपराह्न 06:00 बजे मुख्य सचिव कार्यालय, सचिवालय के सभागार में आहूत की गई। बैठक की सूचना एवं एजेन्डा यू.एल.एम.एम.सी. के पत्रांक 486/14/ULMMC/2024-25 एवं पत्रांक 498/14/ULMMC/2024-25 के माध्यम से ससमय अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को प्रेषित की गई। उक्त बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:–

1	डा. वी. षणमुगम	सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
2	श्री विनोद कुमार सुमन	सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	उपाध्यक्ष
3	श्री आनन्द श्रीवास्तव	अपर सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4	श्रीमती गरिमा रौंकली	अपर सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5	श्री संतोष बडोनी	अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
6	डा. वी. के. गहलोत	निदेशक, डब्ल्यू.आई.एच.जी. देहरादून।	सदस्य
7	मोहम्मद अहमद	निदेशक, जी0एस0आई0, देहरादून।	सदस्य
8	डा. आर. एस. चटर्जी	ग्रुप डायरेक्टर, जी.डी.एम.जी., आई.आई.आर.एस., देहरादून।	सदस्य
9	श्री नीरज कुमार अग्रवाल	जी.एम. डिजाइन, टी.एच.डी.सी.। (Online)	सदस्य
10	डा. धर्मेन्द्र त्रिपाठी	डीन (आर एण्ड सी), एन.आई.टी. सुमाड़ी, उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल। (Online)	सदस्य
11	डा. काला वेंकट उदय	असिस्टेंट प्रोफेसर, आई.आई.टी. मंडी, हिमाचल प्रदेश। (Online)	सदस्य
12	डा. एस. एस. सुब्रमण्यम	असिस्टेंट प्रोफेसर, आई.आई.टी. रुड़की। (Online)	सदस्य
13	श्री अभिषेक कुमार आनन्द	वित्त नियन्त्रक, यू.एल.एम.एम.सी.,	–
14	डा. शान्तनु सरकार	निदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. देहरादून।	–

एजेण्डा बिन्दु निम्नवत् है –

एजेण्डा संख्या–1: दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को आहूत शासी निकाय की द्वितीय बैठक से संबंधित कार्यवृत्त के अनुसार की गयी कार्यवाही आख्या।

एजेण्डा संख्या–2: वर्तमान वर्ष में यू.एल.एम.एम.सी. की प्रगति एवं गतिविधियां।

एजेण्डा संख्या–3: दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 को आहूत यू.एल.एम.एम.सी. की कार्यकारिणी समिति की तृतीय बैठक में संस्तुत निम्न बिंदुओं पर शासी निकाय का अनुमोदन –

I. यू.एल.एम.एम.सी. के बाइलॉज में संशोधन पर औपचारिक स्वीकृति।

II. यू.एल.एम.एम.सी. मानव संसाधन पॉलिसी।

III. यू.एल.एम.एम.सी. हेतु सूचना के अधिकार के अंतर्गत स्थापित संरचना पर कार्योत्तर स्वीकृति।

IV. यू.एल.एम.एम.सी. हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर नियुक्ति।

V. यू.एल.एम.एम.सी. के वित्तीय वर्ष 2024–25 की बैलेंस शीट।

सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मुख्य सचिव/अध्यक्ष, शासी निकाय, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) तथा समिति सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् मुख्य सचिव/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। यू.एल.एम.एम.सी. के बायलॉज में निहित प्रावधानों के अनुसार शासी निकाय की तृतीय बैठक के आयोजन हेतु आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) पूर्ण पाई गई। इसके उपरान्त बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्न प्रकार विचार–विमर्श किया गया–

कार्यवृत्त

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक के निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं के अनुसार निदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) द्वारा निम्न एजेण्डा बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण को प्रस्तुत किया गया –

एजेण्डा संख्या–1: दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को आहूत शासी निकाय, यू.एल.एम.एम.सी. की द्वितीय बैठक से संबंधित कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों पर की गयी कार्यवाही आख्या।

यू.एल.एम.एम.सी. की द्वितीय शासी निकाय की बैठक से संबंधित कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों पर की गयी कार्यवाही आख्या निम्नवत् है –

1. उत्तराखण्ड में अवस्थापित प्रमुख पहाड़ी टाउनशिप/नगरों में भूस्खलन के खतरे और जोखिम के आकलन हेतु Geo Investigation प्रारम्भ कर दिया गया है। इस क्रम में प्रथम टाउनशिप नैनीताल में उक्त इन्वेस्टिगेशन का कार्य पूरा हो गया है।
2. विस्तृत इन्वेस्टिगेशन और डिज़ाइन के आधार पर मनसा देवी पहाड़ियों में Slope Stabilization हेतु DPR तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।
3. एनवायरनमेंट एक्सपर्ट के पद की अर्हता में पर्यावरण विज्ञान के विकल्प के रूप में एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग को भी सम्मिलित किया जाएगा और भविष्य में विभिन्न संबंधित पदों पर की जाने वाली भर्तीयों में आपदा प्रबंधन को भी अर्हता में शामिल किया जाएगा।
4. यू.एल.एम.एम.सी. में कार्यरत कार्मिकों हेतु प्रस्तावित दुघर्टना बीमा पॉलिसी पर कार्रवाई विचाराधीन है।
5. ULMMC से सम्बन्धित आय–व्ययक से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्प्रेक्षा हेतु इंटरनल ऑडिट हेतु ऑडिट फर्म का चयन कर नियत अवधि हेतु अनुबन्धित किया गया है।

एजेण्डा संख्या–2: वर्तमान वर्ष में यू.एल.एम.एम.सी. की प्रगति एवं गतिविधियां।

2. निदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा समिति को केंद्र के गठन की पृष्ठभूमि, उद्देश्यों, कार्यों, उपलब्ध तकनीकी मानव संसाधन एवं उपकरणों के साथ–साथ वर्तमान तक यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा प्राप्त उपलब्धियों से निम्न प्रकार अवगत कराया गया –

1. उत्तराखण्ड राज्य में यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों के डेटाबेस तैयार कर उसे निरंतर अपडेट किया जा रहा है। अवगत कराया गया कि वर्ष 2024 में राज्य में लगभग 1200 भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए जा चुके हैं। उक्त डेटा संकलन विभिन्न स्रोतों के आधार पर किये गये है जैसे – गूगल, लोक निर्माण विभाग, स्थानीय प्रशासन से प्राप्त प्राथमिक डाटा तथा यू.एल.एम.एम.सी. टीम के स्थलीय निरीक्षण। चूंकि भूस्खलन की प्रकृति निरन्तर परिवर्तित होती रहती है, के दृष्टिगत इस डेटाबेस का संशोधन/अपडेशन एक सतत प्रक्रिया है, भी किया जा रहा है।
2. शासी निकाय को अवगत कराया गया कि वर्ष 2025 में घटित प्रमुख आपदाओं के दौरान यू.एल.एम.एम.सी. के टीम की भूमिका अत्यंत सक्रिय रही है। राज्य के समस्त जनपदों में आपदा के उपरान्त क्षति एवं हानि (Damage and Loss) का व्यापक आकलन किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर आपदाओं से सम्बन्धित 'पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट' (PDNA) अभिलेख प्रथम बार तैयार कर केन्द्र सरकार को वांछित सहायता की मांग हेतु प्रेषित किया गया है।
3. शासी निकाय द्वारा उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) हेतु निर्धारित तकनीकी कार्य शुल्क (Consultancy Fee) पत्रांकः आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1, 1103/XVIII-B-1/2024-15(25)2021 E-55636 दिनांक 25 अक्टूबर 2024 के माध्यम से जारी शुल्क दरों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के अतिक्ति अन्य समस्त संबंधित विभागों को भी केन्द्र द्वारा निर्धारित इन दरों से अवगत कराया जाए, जिससे अन्य विभाग भी भूस्खलन से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने एवं अन्य तकनीकी परामर्श हेतु यू.एल.एम.एम.सी. की सेवाएँ प्राप्त कर सकें। इस पहल से यू.एल.एम.एम.सी. को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पर्याप्त कार्य प्राप्त होंगे तथा राज्य में यह केन्द्र Centre of Excellence के रूप में भी विकसित होगा।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा भूस्खलन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु दिये गए निर्देश निम्नवत् है –

a) उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) के गठन की अवधारणा और इसकी विशिष्ट विशेषज्ञता के दृष्टिगत, यह अनिवार्य है कि इस केन्द्र द्वारा भूस्खलन से संबंधित विभिन्न विभागों, संस्थानों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार किये जाने सम्बन्धी कार्यों को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसके अतिरिक्त अन्य SDMF कार्यों जैसे बाढ़ सुरक्षा आदि के Estimate/DPR का मूल्यांकन यू.एल.एम.एम.सी. से न कराया जाए जिससे कि यह भूस्खलन केन्द्र अपने मूल उद्देश्यों पर केंद्रित रह सके और राज्य में भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन हेतु बेहतर तकनीकी सहयोग दे सके।

b) भूस्खलन डेटाबेस तैयार करने से पहले उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी) अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करें। राज्य में भूस्खलनों को मानक परिभाषाओं के अनुरूप minor, major and severe भूस्खलन में वर्गीकृत किया जाए तथा प्रत्येक भूस्खलन के वृहत, लघु प्रभावों में स्पष्ट रूप से

आकलित किया जा सके। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि डेटाबेस की सटीकता और उपयोगिता उच्च स्तर की हो जिससे इसके आधार पर भूस्खलन न्यूनीकरण हेतु कार्यवाही तथ्यात्मक विश्लेषण व उचित वैज्ञानिक समाधान दिये जा सके।

c) निर्देशित किया गया कि उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) द्वारा जायका (JICA) परियोजना के अंतर्गत जापानी तकनीक पर आधारित राज्य में सम्पादित तीन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (DPR) का अध्ययन किया जाय। यदि उक्त परियोजनाओं में JICA द्वारा प्रयुक्त तकनीकें राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एवं उपयोगी सिद्ध हुई पाई जाती है, तो इसे यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा अंगीकृत (Adopt) किये जाने की कार्यवाही की जाय। यह भी निर्देश दिए गए कि जायका की उक्त परियोजनाओं की तकनीकों एवं यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा व्यवहार में लायी जा रही तकनीकों का एक तुलनात्मक विवरण तैयार कर उसका प्रस्तुतीकरण अध्यक्ष/मुख्य सचिव के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुतीकरण के दौरान JICA के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाय।

d) यू.एल.एम.एम.सी. के अन्तर्गत कार्यरत हाइड्रोलॉजिस्ट एवं जियोलॉजिस्ट द्वारा संयुक्त रूप से एक Debris Flow Model तैयार किया जाय।

एजेण्डा संख्या–3: दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 को आहूत यू.एल.एम.एम.सी. की कार्यकारिणी समिति की तृतीय बैठक में संस्तुत निम्न बिंदुओं पर शासी निकाय का अनुमोदनः–

I. यू.एल.एम.एम.सी. के बाइलॉज में संशोधन पर औपचारिक स्वीकृति।

II. यू.एल.एम.एम.सी. मानव संसाधन पॉलिसी।

III. यू.एल.एम.एम.सी. हेतु सूचना के अधिकार के अंतर्गत स्थापित संरचना पर कार्योत्तर स्वीकृति।

IV. यू.एल.एम.एम.सी. हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर नियुक्ति।

V. यू.एल.एम.एम.सी. के वित्तीय वर्ष 2024–25 की बैलेंस शीट।

3. यू.एल.एम.एम.सी. के बाइलॉज में संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में अध्यक्ष/मुख्य सचिव महोदय द्वारा की गई पृच्छा के क्रम में यह स्पष्ट किया गया कि बॉयलॉज में संशोधन हेतु सक्षम प्राधिकार गवर्निंग बॉडी में निहित है, उक्त प्रस्ताव का द्वितीय गवर्निंग बॉडी दिनांक 27 सितम्बर 2024 की बैठक में ही अनुमोदित किया जा चुका है; वर्तमान में विधिक परामर्श के उपरांत किए गए आंशिक सुधारों सहित संशोधित प्रारूप को गवर्निंग बॉडी के समक्ष अवलोकन एवं अंतिम पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3.1 अध्यक्ष/मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि यू.एल.एम.एम.सी. की गवर्निंग बॉडी की बैठक में सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखंड शासन तथा निदेशक खनन एवं खनिकर्म को भी विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए।

3.2 यू.एल.एम.एम.सी. मानव संसाधन पॉलिसी के तहत समस्त कार्मिकों के वेतन वृद्धि संबंधीः–

विदित है कि यू.एल.एम.एम.सी. के ढांचे संबंधी शासनादेश संख्या–205/XVIII-(B-2)/22-05(UDRP-AF)/2021 Dated- 14 March, 2022 के बिंदु संख्या 2 में निम्नानुसार उल्लेखित किया गया हैः–

"The General Body of the ULMMC society will be authorized to take decisions on relaxing/changing any conditions related to eligibility, remuneration and any other issues related to recruitment of personnel in ULMMC".

उक्त के क्रम में यू.एल.एम.एम.सी. में कार्यरत समस्त कार्मिकों के वेतन वृद्धि हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक में संस्तुत प्रस्ताव के माध्यम से शासी निकाय की द्वितीय बैठक में प्रस्तावित किया गया था, जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो निम्नवत है (कार्यवृत्त संलग्न):–

a) *वेतन वृद्धि पॉलिसी:– प्रथम कार्यकारी समिति द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में यू.एल.एम.एम.सी. के कार्मिकों हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 154649/XVIII-(B-2)/23/20(UDRP-AF)2023 दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के बिंदु संख्या–02 के अनुसार निम्नलिखित वेतन वृद्धि देय है:–*

b) *"नियोजित कार्मिकों को समेकित परिलब्धियों पर Gross Salary of Rs. 1 lakh and above तक अधिकतम 5%, Gross Salary Rs. 50,000/- to Rs. 99,999/- तक अधिकतम 6% एवं Gross Salary of Rs. 18,000/- to Rs. 49,999/- तक अधिकतम 10% की वार्षिक वृद्धि प्रदर्शन के आधार पर देय होगी।*

तत्क्रम में चूंकि तत्समय वेतन वृद्धि तय किये जाने हेतु वार्षिक मूल्यांकन (Annual performance evaluation) का आधार स्पष्ट नहीं था, उसको समाहित करते हुए समग्र मानव संसाधन पॉलिसी (HR Policy) का प्रस्ताव शासी निकाय की तृतीय बैठक में प्रस्तावित किया गया है।

उक्त के क्रम में शासी निकाय द्वारा निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है:–

c) **वार्षिक वेतन वृद्धि निम्न तालिकानुसार देय होगी:–**

SL	Performance Score	(49999/- & below)	(50000/-to 99000/-)	(100000/- & above)
1	Those scoring overall Grade 'A' (90% to 94%)	8% of their salary	5% of their salary	4% of their salary
2	Those scoring overall Grade 'B' (Between 71% to 89%)	5% of their salary	3% of their salary	2.5% of their salary
3	Those scoring overall Grade 'C' (Between 60% to 70%)	No Increment	No Increment	No Increment
4	Those scoring overall Grade 'D' (Below 60%)	No Extension	No Extension	No Extension

* Other than the above table for those staffs who will score 95 marks and above, based on the recommendation of Director General, will be rated Extra Ordinary and will be eligible for maximum increment as per the G.O. No.-154649/XVIII-(B-2)/23/20(UDRP-AF) 2023 dated 18/09/2023.

उक्त तालिका के अनुसार वेतन वृद्धि निम्न शर्तों पर देय होगीः–

1. उक्त वेतन वृद्धि का लाभ केन्द्र में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके ऐसे अर्ह कार्मिकों को शासी निकाय की अनुमोदन की तिथि 02 जनवरी, 2026 के पश्चात उनके तीसरे अथवा उससे अधिक वर्ष के कार्यकाल बढ़ाये जाने हेतु गठित अनुबंध के दौरान वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन (Annual performance evaluation) के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संतोषजनक एवं सतत् सेवा पाये जाने पर ही देय होगा।
2. किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का एरियर देय नहीं होगा।
3. अगले कार्यकाल हेतु अनुबंध गठन के समय ही उपरोक्त शर्तों के साथ प्रत्येक वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।

3.2.1 उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र में कार्यरत Geologist एवं Geophysicist के मानदेय में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को समुचित तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसे बाद में समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

3.3 यू.एल.एम.एम.सी. में सूचना के अधिकार के अंतर्गत स्थापित संरचना की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में मुख्य सचिव/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त विषय शासी निकाय के कार्यक्षेत्र का न होकर कार्यकारिणी समिति के स्तर का है, अतः इस प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निस्तारित किया जाए।

3.4 यू.एल.एम.एम.सी. हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में स्वीकृत 50 पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर नियुक्ति स्वीकृति प्रदान की गयी है। विवरण निम्नवत् है –

Details of Posts to be filled by Deputation/Department/ Contractual				
S.N.	**Name of Post**	**No. of Post**	**Eligibility**	**Salary**
1	Chief Consultant	1 (UR)	PG in Geotechnical Engineering/ Soil Mechanics & Foundation Engineering with minimum 15 years+ Experience in Slope Stabilization including Landslide Mitigation/Flood Protection Measures (work experience in hilly terrain is preferable)	As per departmental scale/ Rs. 2,50,000.00 (Consolidated)
2	Principal Consultant	1 (SC)	PG in Geotechnical Engineering/Soil Mechanics & Foundation Engineering/ Structural Engineering with minimum 10 years+ Relevant Experience in Landslide Mitigation.	As per departmental scale/ Rs.2,00,000.00 (Consolidated)
3	IT Expert	1 (SC)	B. Tech (IT/Comp Sc.)/MCA with minimum 4 years of experience in handling servers and website management.	As per departmental scale/ Rs. 60,000.00 (Consolidated)

4	Geologist	1 (SC)	PG in Geology +minimum 5 years slope stabilization experience	As per departmental scale/ Rs.80,000.00 (Consolidated)
5	AutoCAD Experts	1 (SC)	Diploma in Civil Engineering with proficiency in CAD Design- minimum 5 years of post-diploma experience.	RS. 40,000.00 (Consolidated)
6	Design Engineer	01 (UR)	PG in Geotechnical / Structural/Hydrology Engineering +minimum 5 years of relevant experience.	RS.90,000.00 (Consolidated)
7	Multi-Purpose Worker	02 (01 UR, 01 SC)	Intermediate and minimum 3 years post qualification experience.	Rs.15,000.00 (Consolidated)

3.5 वित्तीय वर्ष 2024–25 की बैलेंस शीट के अवलोकन के उपरांत मुख्य सचिव/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यू.एल.एम.एम.सी. हेतु प्रावधानित वार्षिक बजट के सापेक्ष वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसे कार्यकारिणी समिति द्वारा संस्तुति के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में गवर्निंग बॉडी के समक्ष अंतिम मूल्यांकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. अन्त में बैठक में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से उपस्थित शासी निकाय के सदस्यों द्वारा निम्न सुझाव/विचार प्रकट किये गये –

1. एकीकृत भूस्खलन डेटाबेस का निर्माण उत्तराखंड के लिए एक समग्र भूस्खलन डेटाबेस तैयार करने हेतु GSI – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, IIRS – भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, Wadia (WIHG) – वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान, NIH – राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, IIT Roorkee – भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की संस्थानों और एजेंसियों द्वारा विकसित डेटा का एकीकरण एवं समीक्षा की जाए।
2. आई.आई.टी. रुड़की द्वारा तैयार की गई मंदाकिनी घाटी की भूस्खलन डेटाबेस एवं 10 वर्षों के वर्षा आंकड़े उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को उपलब्ध कराया जा सकता है।
3. वर्षा आंकड़ों का विश्लेषण एवं पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा संकलित वर्षा के आंकड़ों का उपयोग हाइड्रोलॉजी विभाग, आई.आई.टी. रूड़की द्वारा किया गया है जिसे भूस्खलन जोखिम विश्लेषण के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।
4. एन.आई.टी. श्रीनगर, सुमाड़ी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ऋषिकेश–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु तैयार किए गए संवेदनशील क्षेत्रों के मानचित्रों को नीति निर्धारण एवं तुलनात्मक अध्ययन हेतु उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को साझा किया जा सकता है।
5. जोशीमठ भूधंसाव क्षेत्र की निरंतर निगरानी की जा रही है। इस क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत भूधंसाव का Real Time Monitoring प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के निर्देश दिये गये।

6. वर्षा की सटीक सीमा (थ्रेसहोल्ड) का निर्धारण भूस्खलन की गति और वर्षा की सटीक सीमा के मध्य सम्बन्धों को एकीकृत रूप से निर्धारित करने हेतु तकनीकी अध्ययन का सुझाव भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान द्वारा दिया गया।

अन्त में शासी निकाय के अध्यक्ष एवं समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(आनन्द बर्धन)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन/
अध्यक्ष, शासी निकाय, यू.एल.एम.एम.सी.
देहरादून।

उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.), उत्तराखण्ड, देहरादून।

6वां तल, यू.एस.डी.एम.ए. भवन, 36 आई.टी. पार्क, सहत्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या – 563 /14/यू.एल.एम.एम.सी./2024–25 देहरादून, दिनांक: 22 जनवरी 2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, देहरादून।
10. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की।
11. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
12. निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुमाड़ी, पौड़ी।
13. अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लि0, नई टिहरी।
14. निदेशक, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, देहरादून।
15. निदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून।

(विनोद कुमार सुमन)
उपाध्यक्ष, शासी निकाय, यू.एल.एम.एम.सी./
महानिदेशक, यू.एल.एम.एम.सी., देहरादून।